FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत ------------------------------- मुकाम -------------------------------

------------------------------- बनाम -------------------------------

इस्म मुकदमा ------------------------------- नं०------------ सन------------

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेशार्थ दिनांक: 31/01/25 को पेश हो।	
31/01/25	अभिभावक मण्डल से कार्य स्थगित किया दिनांक 05/02/25 को ...	
5/2/25	पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य कार्यो मे व्यस्त है। दिनांक को 14/2/25 पेश हो। रीडर	
14/2/25	पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य कार्यो मे व्यस्त है। दिनांक को 19/2/25 पेश हो। रीडर	
19/02/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी श्री T.P. बघेल उपस्थित। प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। पत्रावली दिनांक वास्ते आदेशार्थ 21/2/25 को पेश हो।	
21/2/25	अभिभावक मण्डल से कार्य स्थगित किया दिनांक 28/2/25 को पेश हो। रीडर	
28/2/25	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। वादी वकील उप०। चूंकि प्रतिवादीगण बावजूद रजिस्टर्ड सूचना के अनु० रहने पर के विरुद्ध एकपक्षीय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में ...

कार्यवाही अकाल के कोई
जा चुकी है। पूर्व तारीख पेशी
वादी वकील की बहस सुनी
गई।

वादी वकील ने दौरान बहस
वाद प्रार्थना पत्र में अंकित
तथ्यों को दोहराते हुए तर्क
दिया कि प्रार्थीगण के पिता,
ससुर, व दादा जगमाल सिंह,
अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के बुजुर्ग
सवाईसिंह, अप्रार्थी सं. 8 लगायत
18 के बुजुर्ग रामनाथ सिंह, अप्रार्थी
सं. 9 लगायत 25 के पिता व दादा
नवल सिंह आपस में सगे भाई थे।
जो वाद अन्तर्गत आराजी के 1/4-1/4
हिस्से के काबिज रिकॉर्डेड खातेदार
काश्तकार थे। लेकिन सवाईसिंह,
रामनाथ सिंह व नवलसिंह द्वारा गलत
तौर पर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण
के बुजुर्ग जगमाल सिंह का नाम
बजाये बदयान्ती हटवा कराकर स्वयं
को आराजी के 1/3-1/3 हिस्से का
खातेदार दर्ज करा लिया गया।
जबकि ~~मौके पर~~ प्रार्थीगण को विवादित
आराजी के 1/4 हिस्से का खातेदार
काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिए
था। प्रार्थीगण विवादित आराजी के
1/4 भाग पर बहैसियत वारिस मृतक
जगमाल सिंह काबिज होकर काश्त
करते चले आ रहे हैं। जिस त्रुटि के
कारण प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों
पर कुठाराघात हो रहा है।

वादी वकील ने उपरोक्त
तथ्यों को [illegible] करते हुए तर्क
दिया कि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 25
द्वारा गलत इन्द्राज 9 आड़ से
अप्रार्थी सं. 26 से बेचीनामा करा लिया
गया था प्रार्थीगण को जबरन बेदखल
कर स्वयं कब्जा कर पक्का निर्माण

APP-A
Crime-1

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत -- मुकाम --

-- बनाम --

किस्म मुकदमा -- नं०-------------- सन्----------------

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जारी कर दिया गया था विवादित आराजी के हिस्सेनुसार उपयोग उपभोग के पश्चात उपयोग किया तो प्रार्थीगण अपने अधिकारों से हमेशा के लिए वंचित हो जायेंगे और उन्हें नापूर्णीय होने वाली हानि होगी जिसकी पूर्ति अप्रार्थीगण के जरिये से नहीं कराई जा सकेगी। वकील वादी ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण का प्राईमा फेसी केस बनता है और सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है अंत में वकील वादी ने अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा तादैफसला दावा से पाबंद फरमाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व वकील वादी बहस सुनने उपरांत प्राईमाफेसी, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आदेश है कि हाल खाता संख्या 282, आराजी खसरा नं. 602/0.19, 738/0.08, 739/0.08, 610/0.23, 737/0.08, 782/0.11, 970/0.26, 742/0.01, 780/0.06, 978/0.11, 983/0.06, 971/0.19, 972/0.07, 986/0.19, 987/0.25, 984/0.31, 985/0.15, कुल किता 17 कुल रकबा 2.49 हे० को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस ... की तामील में जारी ...
	ग्राम बैरेर, तहसील रैणी जिला अलवर में अप्रार्थीगण को मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा तक पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] [illegible] हो।	